



सिलवासा नगर पालिका
Silvassa Municipal Council

Tax Calculation Guidelines 2020-21

In reference to the Rule 4 of the Dadra and Nagar Haveli (Imposing of a Consolidated Tax on land and buildings in Municipal Area) Rules, 2018 the Presumed Annual Rent is increased by 4 % to the rate of the year 2019-20 and the New Tax Rate for the Year 2020-21 is as under:

Tax Rate per square feet per annum on built up area		
Location Class	Residential Property Tax	Commercial Property Tax
3	2.37	5.58
4	1.18	2.97

Following Exemptions shall be considered for the bellow mentioned types and the above rates shall not apply:

1. All buildings and lands used for religious purpose are exempted from property tax.
2. Retired Soldiers and their widow/widower are exempted from Property Tax of building and land on which they are living.
3. For Property tax for an area less than or equal to 25 square meters Rs. 250/- per annum has been fixed as property tax per annum.
4. Tax for Houses allotted to beneficiaries under various schemes of poverty Alleviation program is fixed as Rs. 250 / - per annum.
5. Tax for kutcha house, old house, and traditional huts built with indigenous material having ineligible rent value and occupied by poor household is fixed as Rs. 250 / - per annum.

कर गणना दिशानिर्देश 2020-21

दादरा और नगर हवेली (नगर क्षेत्र में भूमि और भवनों पर समेकित कर का प्रस्ताव) नियम, 2018 में वर्ष 2018-20 के नियम 4 के संदर्भ में और नई दर से प्रस्तावित निर्धारित वार्षिक में 4% की वृद्धि हुई है वर्ष 2020-21 के लिए कर की दर इस प्रकार है:

निर्मित क्षेत्र पर प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष कर क्षेत्र		
स्थान वर्ग	आवासीय संपत्ति	व्यवसायिक संपत्ति कर
३	२.३७	५.५८
४	१.१४	२.९७

उल्लिखित प्रकारों पर उपरोक्त कर लागू नहीं होगा और निम्नलिखित छूट दी जाएगी :

1. धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी इमारतों और जमीनों को संपत्ति कर से छूट दी गई है।
2. सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके विधवा / विधुर को जिस संपत्ति पर वे रह रहे हैं उस संपत्ति के कर से छूट दी गई है।
3. जिस संपत्ति का क्षेत्र 25 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर हैं उनके लिए संपत्ति कर रु 250 / - प्रति वर्ष निर्धारित है।
4. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आवंटित मकानों के लिए संपत्ति कर रु 250 / - प्रति वर्ष निर्धारित है।
5. कच्चे मकान, पुराने घर, और पारंपरिक झोपड़िया जो कि प्राकृतिक सामग्री से निर्मित हैं और जिनका किराया मूलिया अपात्र हैं उनका संपत्ति कर रु 250 / - प्रति वर्ष निर्धारित है।